न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–133/2017 निर्णय दिनांक :–30.03.2021

उनवानी दावा :

दाखा देवी पत्नि रूघाराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज. **–वादीगण–**

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र गोकुल जाति बैरवा उम्र 35 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला–टोंक राज.
2. गोकुल पुत्र सुगना जाति बैरवा उम्र 65 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला–टोंक राज.
3. नन्दू देवी पत्नि रामकुंवार जाति बैरवा उम्र 33 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला–टोंक राज.
4. प्रहलाद पुत्र छोटू जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला–टोंक राज.
5. संतरा देवी पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला–टोंक राज.
6. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज.

– प्रतिवादीगण –

–उपस्थिति –

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

<u>वाद बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की खातेदारी व कब्जे–काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 53 ख0नं0 389/87 रकबा 0.97 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम भीवड़ावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0 नं0 87 ग्राम भीवडावास पटवार हल्का गांवड़ी में स्थित है। जिसका वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1 व 5 ने मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में विभाजन नामान्तकरण संख्या 375 दिनांक 15.11.16 के द्वारा करवा लिया था। वादीया की भूमि के पूर्व में अडवे ही प्रतिवादीगण नं0 1 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 87 व उत्तर में प्रतिवादीगण नं0 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 388/87 है। वादीया अनपढ एवं ग्रामीण महिला है एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 आदतन अपराधी किस्म के लडालू झगडालू व्यक्ति है और विधिवत रूप से विभाजन करवाये जाने के बाद वादिया द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने पर वादीया को जानकारी हुई कि उक्त प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5

वादिया की भूमि पर क़ब्जा कर रखा है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 ने वादीया की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 389/87 में उत्तर दिशा की और पश्चिम से पूर्व मे लगभग 16 फीट भूमि पर कब्जा कर रखा है और प्रतिवादी नं0 4 ता 5 ने वादिया की भूमि के पूर्व दिशा की और उत्तर से दक्षिण में 4 मीटर जमीन पर लटठ के जोर पर कब्जा कर रखा है, जिन्हे बेदखल किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। दिनांक 19.09.2017 को वादीया अपने पति के साथ सुबह अपने खेत व मौके पर गई तो मौके पर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीया की खातेदारी की भूमि के उत्तर दिशा व पश्चिम दिशा की ओर वादीया के द्वारा छोडी गई बनाई गई मेढ का सम्पूर्ण फसल चारा को काट लिया, मौके पर जाकर वादीया ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादीया के साथ गाली गलोच कर पेश आये और कहा कि तेरी मर्जी आये जो कर ले चारा हम ही काटेंगे औरा ज्यादा करेगी तो तेरे खेत मे से भी काटेंगे। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण अपनी भूमि मे कब्जा काश्त करने में मजामत करते है और जबरन लटठ के जोर पर वादीया से लड़ाई झगड़ा कर अशान्ति फैलाते है इस कारण प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 को सदा सर्वदा के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे स्वंय जरिये नोकर चाकर, एजेन्ट, दिगर पारिवारिक सदस्य के द्वारा वादिया के साथ लड़ाई झकड़ा नही करें, वादीया की भूमि में कब्जा नही करें, वादिया की भूमि में बनी मेढ़ मे से चारा नही काटे एवं पाबन्द रहे। वाद कारण दिनांक 19.9.17 को तब उत्पन्न हुआ जब वादिया अपने हिस्से की भूमि मे देखभाल करने गई और प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 के द्वारा वादीया को गाली गलोच कर मारपीट करने पर उतारू हो गये, मौके से भगा दिया जो निरन्तर जारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा ने जवाब पेश नहीं करने व न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादीया दाखा देवी पत्नी रूघाराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी गांवड़ी तहसील देवली का पेश किया है। प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 सीमाज्ञान आदेश व पालना रिपोर्ट दिनांक 26.04.17 की सत्यप्रतिलिपी।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खसरा नं. 389/87 में वादीया खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 सीमाज्ञान आदेश व पालना रिपोर्ट दिनांक 26.04.17 की सत्यप्रतिलिपी पेश किये है। वाद व बहस अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादीया की खातेदारी भूमि में पश्चिम

पूर्व में लगभग 16 फीट भूमि पर और प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने पूर्व दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण में 4 मीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिलकर उक्तानुसार भाग पर वादीया को बेदखल कर रखा है। अतः वादीया द्वारा उक्त आराजी में खातेदार की हैसियत होने के आधार पर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया की आराजी भूमि वादीया की खातेदारी व कब्जे–काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 53 ख0नं0 389/87 रकबा 0.97 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम भीवडावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली में कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादीया को बेदखल नहीं करे। तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर वादीगण की खातेदारी की भूमि का नाप–चौप करे। यदि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा पाया जावे तो अवैध कब्जा हटाकर भूमि वादीगण को सम्भलाई जावे। मौका कमिश्नर फीस 2000/– निर्धारित की जाती है। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(… 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा :

दाखा देवी पत्नि रूघाराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज.

—वादीगण—

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र गोकुल जाति बैरवा उम्र 35 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला—टोंक राज.
2. गोकुल पुत्र सुगना जाति बैरवा उम्र 65 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला—टोंक राज.
3. नन्दू देवी पत्नि रामकुंवार जाति बैरवा उम्र 33 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला—टोंक राज.
4. प्रहलाद पुत्र छोटू जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला—टोंक राज.
5. संतरा देवी पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी भीवडावास तहसील देवली जिला—टोंक राज.
6. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज.

— प्रतिवादीगण —

<u>वाद बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 133 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बाबूलाल मीणा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया की आराजी भूमि वादीया की खातेदारी व कब्जे—काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 53 ख0नं0 389/87 रकबा 0.97 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम भीवडावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली में कब्जेकाश्त व उपयोग—उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादीया को बेदखल नहीं करे। तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर वादीगण की खातेदारी की भूमि का नाप—चौप करे। यदि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा पाया जावे तो अवैध कब्जा हटाकर भूमि वादीगण को सम्भलाई जावे। मौका कमिश्नर फीस 2000/— निर्धारित की जाती है।

....................................मुवक्किल...बाबत् ....

इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए